बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–............................

सं0–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2020.....02...../ मो0 अशरफ जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध दिनांक–13.10.2019 को सहरसा शहर के डुमरैल चौक के पास अवैध शराब से लदे ट्रक बरामदगी मामले में प्राथमिकी तीन दिनों बाद दर्ज कराने, अभियुक्त को विलंब से न्यायालय में पेश किये जाने, बरामदगी स्थल एवं ट्रक का नं0 जब्ती सूची में गलत अंकित किये जाने एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के साथ–साथ व्यक्तिगत लाभ के लिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियामावली 1976 के नियम–3 के प्रतिकूल आचरण करने आदि के आरोप में मो0 जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं0–2745 दिनांक–08.09. 2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

02. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) कोशी प्रमण्डल, सहरसा ने जब्ती सूची में शराब की बरामदगी स्थल के मालिक श्री आर0के0 सिंह अंकित होने किन्तु जाँच में जमीन का असली मालिक डा0 आई0डी0 सिंह पाये जाने की स्थिति में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। अन्य आरोपों को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित नहीं होना निष्कर्षित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु का उल्लेख करते हुए मो0 जमाल से विभागीय पत्रांक–1608 दिनांक–21.05.2021 द्वारा बचाव बयान माँगी गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बचाव बयान के आधार पर समीक्षोपरांत मो0 जमाल के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 के माध्यम से मो0 अशरफ जमाल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

03. विभागीय अधिसूचना सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 द्वारा संसूचित "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्डादेश के विरूद्ध मो0 जमाल द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 24 (2) के अधीन पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल किया गया।

04. मो0 जमाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में वर्णित बचाव के बिन्दुओं की समीक्षा करने हेतु संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति के द्वारा पत्रांक–444 अनु0 दिनांक–24.01.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समिति द्वारा मो0 जमाल के विरूद्ध सभी आरोपों को साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं पाया

गया है तथा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को असमानुपातिक मानते हुए सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश पर पुनर्विचार किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

05. मो0 अशरफ जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा सम्प्रति बर्खास्त द्वारा उक्त दण्डादेश दि0–27.11.2021 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14726/2022 दायर किया गया है। दिनांक–16.01.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"Though the present writ petition has been filed for quashing of the order of punishment of dismissal from service dated 27.11.2021, however, it is submitted that the petitioner has filed a review application for reconsidering the punishment inflicted upon the petitioner, which is still pending.

2. The learned counsel for the petitioner has submitted that the views of the department was sought for on the aforesaid review petition, filed by the petitioner and the opinion was submitted by a three-man committee, vide report dated 22.01.2022, which can be found at page no. 81 to 84 of the writ petition, wherein it has been opined that the punishment of dismissal from service, inflicted upon the petitioner, can be reconsidered.

3. In view of the aforesaid, the learned counsel for the petitioner submits that the respondent authorities be directed to consider the review petition filed by the petitioner, taking into account the aforesaid report of the committee dated 22.01.2022 and take a final decision. It is directed accordingly.

4. It is needless to state that appropriate decision shall be taken by the concerned respondent authorities, on the review petition filed by the petitioner, within a period of four weeks of receipt/production of a copy of this order.

5. The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."

06. मो0 अशरफ जमाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दि0–13.12.2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दि0–16.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–5276 दि0–31.12.2021 द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के आधार पर समीक्षोपरांत मो0 जमाल के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दंड को पुनरीक्षित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

07. मंत्रिमंडल सचिवलाय विभाग के अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 चतुर्थ अनुसूचि के भाग (घ) में संशोधन करते हुए कंडिका–4 जोड़ी गयी है, जिसके अनुसार– ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम न्यायादेश

पारित किये गये हो एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं है तो उसे वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग, प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर, कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा।

08. उक्त अधिसूचना के आलोक में सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–14726/2022 अशरफ जमाल बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.01.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त कर विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। विधि विभाग के ज्ञापांक–8111 दिनांक–18.12.2024 द्वारा संसूचित दिनांक–16.12.2024 को आहुत बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

''सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14726/2022 (अशरफ जमाल बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–16.01.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के संकल्प सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 के द्वारा मो0 अशरफ जमाल के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14726/2022 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–16.01.2024 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।''

09. अतः मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में मो0 अशरफ जमाल, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–4465 दिनांक–27.11.2021 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त/पुनरीक्षित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

10. यह आदेश याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।'

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2020 02 पटना, दिनांक– 01.01.2025

प्रतिलिपि–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/विभागीय सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/प्रभारी राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/एस0सी0–5, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को एम0जे0सी0 सं0–3446/2024 के आलोक में/ विभागीय प्रोग्रामर तथा मो0 अशरफ जमाल, सेवा से बर्खास्त अधीक्षक, मद्य निषेध, पिता–स्व0 कमरूल होदा, ग्राम–पिपरा, थाना+पो0–माँझागढ़, जिला–गोपालगंज, पिन–841427 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/1/2025

सरकार के उप सचिव